

50

निगरानी प्र.क. / 2017

प्रस्तुति दिनांक : / 05 / 2017

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प इन्दौर

PBR/निगरानी/खरगोन/ भू.रा./2017/1580

द्वारकादास पिता वल्लभदास महाजन

आयु - 73 वर्ष, धंधा - कुछ नहीं,

दिनांक 24.5.17 निवासी - महेश्वर जिला खरगोन

--- प्रार्थी

को सी.टी.टी. ७५१
१९.०५.१७ ५५३५

विरुद्ध

29.5.17
5.5.2017

1. म.प्र. शासन तर्फे पटवारी

हल्का नं. 23, महेश्वर जिला खरगोन

2. महेश पिता युवराज लहाणे

निवासी - वृन्दावन कालोनी, महेश्वर

जिला खरगोन

--- प्रतिप्रार्थीगण

२५.५.१७
२५.५.१७



निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

इसमें प्रार्थी श्रीमान तहसीलदार महोदय महेश्वर जिला खरगोन द्वारा रा.प्र.क. 13/अ-68/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 से असुष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खरगोन/मूरा0/2017/1580

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-10-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री बी0के0गुप्ता एवं श्री टी0टी0गुप्ता अधिवक्ता तथा अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से श्री मुकेश तारे अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायलय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर जिला खरगोन के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	